न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 171 / 2020(2020 / 00236)

अनवान : —

1. पालाराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

— वादी

बनाम

1. हेतराम पुत्र शिवनाथ (श्योनाथ) जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. दिलेसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. सुरेश कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. दर्शना पत्नि सत्यनारायण पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल कैरांवाली तहसील व जिला सिरसा।
5. सरोज पत्नि कृष्ण कुमार पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल जांडवाला बागड़ तहसील भट्टु, जिला फतेहाबाद।
6. राजबाला पत्नी राजवीर पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल कोरांवाली तहसील व जिला सिरसा।
7. आरएमजीबी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— वकील श्री श्रवण सहारण I: वादी
श्री श्रवण सहारण II : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नेठराना के चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 125 / 124 के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, 22 व 23 / 1 की कुल 2.378 है0 मु0नं0 41 के किला नं0 3 / 1, 4 / 1, 5 / 1, 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की कुल 3.541 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 20, 21 की 0.506 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 6.425 है0 नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 हेतराम के नाम खातेदारी दर्ज है तथा इसी चक के खाता सं0 122 / 122 के मु0नं0 40 के किला नं0 20, 21 की 0.506 है0 मु0नं0 41 के किला नं0 1, 2, 9, 10 की 1.012 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 1.518 है0 नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 हेतराम 40 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:43 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा नेठराना के चक 4 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 73 / 73 के मु0नं0 5 के किला नं0 14 ता 18, 23 ता 25 की 2.024 है0 मु0नं0 6 के किला नं0 16 ता 25 की 2.530 है0 मु0नं0 13 के किला नं0 1 ता 15 की 3.795 है0 मु0नं0 14 के किला नं0 3 ता 8 व 15 की 1.771 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 10.120 है0 नहरी बारानी मय खाला व रास्ता कृषि भूमि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 हेतराम 260 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा नेठराना के चक नं0 5 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 86/59 के मु0नं0 10 के किला नं0 16/1, 17, 23/2, 24/2, 25/2 की 0.978 है0 मु0नं0 15 के किला नं0 3 ता 5 की 0.759 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 1.737 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 हेतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी सं0 1 हेतराम को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता शिवनाथ (श्योनाथ) से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालायी सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हेतराम के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 का जन्म से हक व हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 हेतराम के नाम महज परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दादालाई हेतु जमाबन्दी सम्वत् 2016 संलग्न दावा है, जिससे साफ रोशन है यही बिनाय दावा है।

प्रतिवादीया सं0 4 ता 6 वादी की बहने व प्रतिवादी सं0 1 की पुत्रियां है जिनकी शादी आज से काफी वर्ष पूर्व बड़े धूम धाम से कर दी है उनके भात–छूछक वगैरह सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न कर दिये है वे अपने ससुराल में राजीखुशी आवाद है उन्होने अपनी स्वेच्छा से उपरोक्त कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बरावर बांटकर दे रखी है उन्होने कभी भी इस कृषि भूमि को काश्त नहीं की है इस प्रकार प्रतिवादीया सं0 4 ता 6 ने अपनी खुशी से वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है इसी प्रकार चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 125/124 की सम्पूर्ण कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हेतराम ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपनी खुशी व स्वतंत्र इच्छा से वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने वाद की मदों को स्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 8 पैरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया है।

साक्ष्य वादी में वादी पालाराम पुत्र हेतराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सदस्य प्रमाण–पत्र प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपी जमावन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 125/124, 122/122 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2 व 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 38/31 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 4, सत्य प्रतिलिपि जमावन्दी चक 5 बीआरडब्ल्यु खाता सं0 86/59 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 3 बरवाली सम्वत् 2016 प्रदर्श 6, 7, 8, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 4 बरवाली सम्वत् 2016 प्रदर्श ... प्रति प्रमाणित जमावन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 5 बरवाली ... करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:43 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्षकारान सुनी ... वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई ... भूमि में है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ने भी अपनी बहस में वादी के दावा को स्वीकार करते हुए वाद कृषि भूमि वादी के पिता हेतराम को वादी के दादा श्योनाथ से विरासतन प्राप्त होना स्वीकार किया है।

हमारे द्वारा वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 3, 4 व 5 बीआरडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 हेतराम को उनके पिता/वादी के दादा शिवनाथ (श्योनाथ) से विरासतन प्राप्त हुई तथा वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 3 बरवाली सम्वत् 2016 प्रदर्श 6, 7, 8, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 4 बरवाली सम्वत् 2016 प्रदर्श 9, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 5 बरवाली सम्वत् 2016 प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा शिवनाथ (श्योनाथ) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 सदस्य प्रमाण पत्र में हेतराम के वारिसान में पत्नि चन्द्रकला फौत होना तीन पुत्रियां राजबाला, दर्शना, सरोज मौजूद होना व तीन पुत्र पालाराम, दिलेसिंह, सुरेश कुमार मौजूद होना अंकित है एवं प्रतिवादीया सं0 4 ता 6 जो कि वादी की बहने उन्होने जबाबदावा में अपने हक हिस्सा की सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग देना तथा प्रतिवादी सं0 1 ने चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 125/124 की सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग देना स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अतः वाद वादी साबित होने के कारण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नेठराना के चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 125/124 के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, 22 व 23/1 की कुल 2.378 है0 मु0नं0 41 के किला नं0 3/1, 4/1, 5/1, 6 ता 8, 13, ता 18, 23 ता 25 की कुल 3.541 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 20, 21 की 0.506 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 6.425 है0 नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 हेतराम के नाम खातेदारी दर्ज है **उसमें प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी पालाराम, प्रतिवादी संख्या 2 दिलेसिंह व प्रतिवादी सं0 3 सुरेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** चूंकि प्रतिवादीगण 1, 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने तथा कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
(जयसिंह)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़